मशहूर नाम बारालोटा थाना नं० 188 थाना मेदनी नगर जिला पलामू
पैमाना 16" = 1 मील

विक्री भूमि नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया है।

विक्रेता का नाम – 1 श्री रमाधार तिवारी
2 श्री शिवकुमार तिवारी
3 श्री अरुण कुमार तिवारी
} तीनों का पिता स्व० गनेश तिवारी निवासी ग्राम बारालोटा थाना मेदनी नगर जिला पलामू झारखण्ड।

क्रेता का नाम – श्री चन्द्रशेखर कुमार पिता श्री गनेश प्रसाद निवासी ग्राम रेड़मा बाइपास रोड नीकट काली मंदिर थाना मेदनी नगर जिला पलामू झारखण्ड।

खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	रकबा वर्गफीट
123	160	1 7/50	500

नोट :– उत्तर से दक्षिण दोनों तरफ 25'–0"
पुरब से पश्चिम दोनों तरफ 20'–0"

चौहद्दी – उ० पी० डब्लू० डी० रोड के भाग
द० पी० सी० सी० रोड
पु० पी० डब्लू० डी० रोड
प० पशुपति पाल

प्रमाणित किया जाता है कि दोनों नक्शा एक दूसरे की हुबहु नकल है।

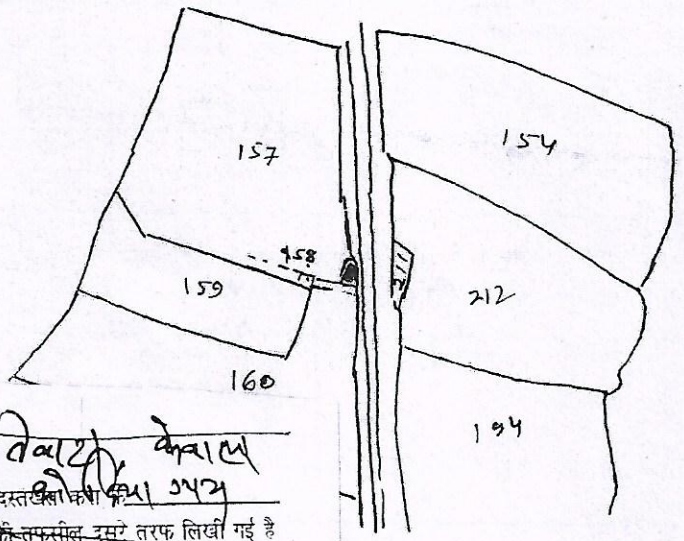

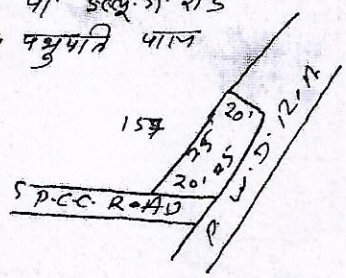

ह० रमाधार तिवारी केवाला
[illegible] कुमार [illegible] १५४४
...ट पर लिखा के और दस्तखत करा किया
...या गया। दस्तावेज जिसकी तफसील दूसरे तरफ लिखी गई है
पाया। ता० 18.1.2008

...______ पानेवाले का दस्तखत ______

वह फीस जो उस दस्तावेज की निसबत ली गई कि जिसकी ...ल इसमे लिखी हुई है, अगर उसकी रजिस्ट्री करने से इनकार ... जायं या उसकी निसबत कुछ ज्यादा फीस ले ली गई हो लौटा ...यगी और अगर किसी कमीशन या मुलाहजे के लिये खरचा ...या गया हो और यह दोनों बातें न की गई हों तो हर हालत ...रीकों को [illegible] ज़रिये से अपना रूपया वापस लेना ...ये।

अगर किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री पूरी हो जाने या रजिस्ट्री ...नकार करने के बाद एक महीने से ज्यादा गुजर जाय और तब ...की वापसी के लिये दरखास्त दी जाय तो दस्तावेज की रजिस्ट्री ...हो जाने या रजिस्ट्री से इनकार करने के बाद, जैसी हालत हो, ... महीने के बाद से हर महीने या महीने के कुछ हिस्से के लिये ...ऐसे दस्तावेज पर आठ आना फीस ली जायगी।

पर शर्त यह है कि किसी भी हालत में ऐसी फीस की रकम ...रूपये से ज्यादा नं होगी।

ह० रमाधार तिवारी ता० 18.1.08
शिवकुमार तिवारी 18-1-8
ह० अरुण कुमार तिवारी 18.1.08